

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आमेलेख चाव संख्या—३८३/७-२०

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
६.३.२०२०	<p>चाव का प्रकार—बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक—२०७४/८०, दिनांक—१३.०५.२०१६ सहपठित— श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू—अर्जन—सह—विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या—३—खा०८०नि०—११९/८५/२३०८/८०, दिनांक—०३.०९.१९८५ एवं सह—पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या—९१४/८०, दिनांक—०९.१२.१९९८ में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमावंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के कम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि <del>मौजा— नृपेश्वर</del>, थाना नं०—११९, खाता संख्या—१० प्लॉट संख्या—५५३, रक्कड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमावंदी उस मौजा के पंजी—II के जिल्द संख्या—<del>गुरुता माँझी लंखी माँझी</del> पिता—<del>द्वितीय मुशाल माँझी</del> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमावंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमावंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमावंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमावंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू—खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण—पृच्छा करें, कि व्यों नहीं उक्त जमावंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक—२०.३.२०२० को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">०६/३/२० अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	

20.03.2020

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमावंदी रैयत/जमावंदी रैयत के द्वारा उक्त मूँगी से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पता ही रखा गया।

अतः उक्त जमावंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) मूँगी सुधार अधिनियम 1950 की घारा 4(1) के तहत जमावंदी को रद करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में मूँगी सुधार उपसमाहता को भेजे।

६३/१७

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर